प्रेषक,

पी0 के0 पाण्डेय
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0, कानपुर।

हथकरघा वस्त्रोद्योग अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 25 जुलाई, 2022**

विषयः- **बुनकरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सामूहिक बीमा योजना की वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-835/ह0क0-बुनकर बी0यो0-विकास अनु0/2022-23 दिनांक 28.06.2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में बुनकरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत रू0 15.00 लाख (रूपये पन्द्रह लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल प्रदान करते है।

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा। उक्त स्वीकृत की जाने वाली धनराशि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत संगत शासनादेशों में निहित प्राविधानों के तहत व्यय की जायेगी। उक्त धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर का होगा।

3- प्रस्तर-1 मंे स्वीकृत धनराशि रू0 15.00 लाख (रूपये पन्द्रह लाख मात्र) को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-6 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-103-हथकरघा उद्योग-03-बुनकरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सामूहिक बीमा योजना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का सदुपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

4- उक्त धनराशि व्यय करने में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07-06-2022 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,
(पी0 के0 पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

संख्या-5/2022/639(1)/63-व0उ0-2022 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनुभाग-4
5- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,
(पी0 के0 पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in